संख्या-380/49-01-2023-भू0-08/07

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 30 जून, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ द्वारा नाबार्ड से ऋण आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष-2023-24 के लिये रू0 1000.00 करोड की शासकीय गारण्टी स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-379/49-1-2023-भू0-8/07 दिनांक 30 जून, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ को नाबार्ड से ऋण आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष-2023-24 के लिये रू0 1000.00 करोड की शासकीय गारण्टी कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध, में गारण्टी की सीमा स्वीकृत करने से सम्बन्धित गारण्टी डीड मूलरूप में संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

3- शासन के उक्त पत्र दिनांक 30 जून, 2023 में इंगित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-380(1)/49-1-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ।

2- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-2, वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।